कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर, जिला–बस्तर(छ0ग0)

शांतिनगर, वार्ड क्र. 25, बस स्टैण्ड रोड, जगदलपुर

E-Mail - jagdalpurnagarnigam@yahoo.com, Website - nagarnigamjagdalpur.in, Phone No. - 07782-221055

क्रमांक/2533 /नपानि/रा0शा0/2020 जगदलपुर, दिनांक 9/10/2020

विज्ञापन (होर्डिंग्स) ठेका की – निविदा आमंत्रण सूचना पत्र

नगरपालिक निगम, जगदलपुर क्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) को ठेके पर दिये जाने हेतु मोहर बंद निविदाएं मात्र स्पीड पोस्ट से दिनांक 28.10.2020 को समय शाम 4.00 बजे तक बंद लिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित है। प्राप्त निविदाओं को निविदा प्रस्तुत कर्ताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों जो इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहें, उनके समक्ष खोली जावेगी।

01. आवेदक कोरा निविदा प्रपत्र, **दिनांक 12.10.2020 से, 26.10.2020 तक से** कार्यालयीन समय पर कार्यालय के राजस्व शाखा में पहुँच कर प्राप्त कर सकेगें ।
02. निविदा आवेदन जमा होने की **अन्तिम तिथि 28.10.2020** समय **शाम 4.00 बजे** तक स्थान कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर में होगी।
03. निविदा खोलनें की **तिथि 28.10.2020** को समय **संध्या 4.30 बजे** स्थान नगर निगम, जगदलपुर।

निविदा कार्य का विवरण	जोन क्र.	शासकीय आफसेट दर	अमानत राशि	संचालन की अवधि	निविदा फार्म की किमत
नगरपालिक निगम, जगदलपुर के विज्ञापन (होर्डिंग्स) 03 जोन का ठेका	01	900000.00	180000.00	तीन वर्ष	5000.00
	02	990000.00	198000.00		5000.00
	03	900000.00	180000.00		5000.00

अधिक जानकारी हेतु कार्यालियन समय में राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
जगदलपुर

पृ0 क्रमांक/ /नपानि/रा0शा0/2020 जगदलपुर, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1. मान0 महापौर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. मान0 अध्यक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. मान0 सभापति राजस्व शाखा, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सम्पादक .... दैनिक समाचार पत्र, जगदलपुर उपरोक्त निविदा का प्रकाशन **न्यूॅन्तम साईज** में प्रकाशित कर देयक, भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।

सही
आयुक्त
नगरपालिक निगम
जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला – बस्तर छ0ग0

विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु निविदा की नियम व शर्ते

नगर पालिक निगम, जगदलपुर क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन बोर्ड (होर्डिग्स) लगाने वाले क्षेत्र को विभिन्न विज्ञापन जोन में बाटा गया है, तथा यह उप विधयां विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप विधयां 2012 कहलाऐगी । विज्ञापन बोर्ड (होर्डिग्स) लगाने हेतु स्थल निविदा के माध्यम से अधिकतम दरदाता को सक्षम स्वीकृति उपरांत अनुमति दिया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	जिस स्थान में विज्ञापन होर्डिग्स लगाने की अनुमति दिया जाना है	होंर्डिग्स की साईज वर्गफुट	होर्डिग्स की निर्धारित संख्या
1	2	3	4
	जोन क्र. 01		
1	किशन ढाबा से एयर पोर्ट तक	20 X 10	08
2	एयर पोर्ट से शहीद पार्क होते हुए पुराना बस स्टेण्ड तक	20 X 10	10
3	पुराना बस स्टेण्ड से वायरलेस आफिस लालबाग होते हुए आसना चौक तक	20 X 10	12
		योग –	30

जोन क्र. 01 की निविदा हेतु सरकारी न्युनतम दर – 900000.00 (शब्दों में नौ लाख रूपये मात्र) ।

विशेष टीप :–प्रत्येक जोन में भवनों के टेरिस पर 10 नग होर्डिग्स साईज 16 X 20 = 320 वर्गफुट का विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति । (भवन मालिक की सहमति पर)

दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साईनबोर्ड जो मूलतः उसका नाम व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है (कोई भी कंपनी का विज्ञापन नही होगा) । इसके अतिरिक्त साईनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर होर्डिग्स से विज्ञापन करेगा।

क्र	जिस स्थान में विज्ञापन होर्डिग्स लगाने की अनुमति दिया जाना है	होंर्डिग्स की साईज वर्गफुट	होर्डिग्स की निर्धारित संख्या
1	2	3	4
	जोन क्र. 02		
1	कांग्रेस भवन के पास (अग्रसेन चौक)	20 X 10	10
2	गुरूगोविन्द सिंह चौक से परपा नाका तक	20 X 10	08
3	गुरूगोविन्द सिंह चौक से कमिश्नर आफिस मोड़ तक	20 X 10	03
4	जिला न्यायालय से बोधघाट चौक तक	20 X 10	12
		योग –	33

जोन क्र. 02 की निविदा हेतु सरकारी न्युनतम दर – 990000.00 (शब्दों में नौ लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)।

विशेष टीप :–प्रत्येक जोन में भवनों के टेरिस पर 10 नग होर्डिग्स साईज 16 X 20 = 320 वर्गफुट का विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति । (भवन मालिक की सहमति पर)

दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साईनबोर्ड जो मूलतः उसका नाम व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है (कोई भी कंपनी का विज्ञापन नही होगा) । इसके अतिरिक्त साईनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर होर्डिग्स से विज्ञापन करेगा।

क्र	जिस स्थान में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दिया जाना है	होंर्डिंग्स की साईज वर्गफुट	होर्डिंग्स की निर्धारित संख्या
1	2	3	4
	जोन क्र. 03		
1	सिरहासार चौक	20 X 10	02
2	गोल बाजार चौक	20 X 10	02
3	हाता ग्राउण्ड से चांदनी चौक तक	20 X 10	06
4	धरमपुरा पल्ली नाका से अनुपमा चौक होते हुए दलपत सागर आइलेन्ड के पास तक	20 X 10	13
5	टाउन क्लब से विधायक कार्यालय तक एवं संजय मार्केट पार्किग स्थल में	20 X 10	07
		योग –	**30**

जोन क्र. 03 की निविदा हेतु सरकारी न्युनतम दर 900000.00 (शब्दों में नौ लाख रूपये मात्र)।

विशेष टीप :–प्रत्येक जोन में भवनों के टेरिस पर 10 नग होर्डिंग्स साईज 16 X 20 = 320 वर्गफुट का विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति । (भवन मालिक की सहमति पर)

दुकान या स्थापना में लगा मुख्य साईनबोर्ड जो मूलतः उसका नाम व पता दर्शाता हो, सम्मिलित नहीं है (कोई भी कंपनी का विज्ञापन नही होगा) । इसके अतिरिक्त साईनबोर्ड जो दुकान पर या उसके बाहर हो चाहे वह स्थिर हो या अस्थिर होर्डिंग्स से विज्ञापन करेगा।

जगदलपुर नगर में विज्ञापन होर्डिग्स हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र :–

1. गुरूनानक चौक से गोलबाजार चौक होते हुए हाता ग्राऊड तक ।
2. संजय बाजार सामने का क्षेत्र ।
3. गोलबाजार से फारेस्ट आफिस का क्षेत्र ।
4. बस्तर हाईस्कुल गेट से मोना लॉज होते हुए कलक्ट्रेड ऑफिस तक ।
5. शहीद पार्क ।
6. नगर के सभी ट्रांसफार्मर / विद्युत पोल/डिवाईडर।

होर्डिंग्स लगाते समय निम्नानुसार शर्तो को पूर्ण करना होगा :–

1. होर्डिंग्स यातायात में बाधक न हो ।
2. सड़क के एक ओर दो होर्डिंग्स में मध्य 05 फीट की दूरी हो ।
3. होर्डिंग्स लगाने से ट्रेफिक सिग्नल या सड़क का आगे का भाग देखे जाने में असुविधा न हो।
4. सड़क के घुमावदार मोड़ पर होर्डिंग्स नहीं लगाये जायेगे ।
5. ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्कुल एवं कालेजों के प्रवेश द्वारों के निकट धार्मिक स्थल चौराहों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नही होगी ।
6. सरोवरों एवं बगीचों का सौन्दर्य भी इन होर्डिंग्स से प्रभावित न हो एवं उचित स्थल पर ही होर्डिंग्स लगाये जा सकेगें ।
7. विज्ञापन बोर्ड लगाने, ठेका हेतु निविदा प्रपत्र निगम से 5000/– (पॉच हजार रू0) नगद जमा कर निविदा तिथि से एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक .... तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
8. प्रत्येक संस्था/फर्म/इच्छुक व्यक्ति के लिए पृथ्क आवेदन पत्र लेकर शासकीय दर (न्युनतम दर) राशि का 20 प्रतिशत डी.डी. या बैकर्स चैक आवेदन के साथ जमा कराना होगा । जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हो ।
9. विज्ञापन बोर्ड ठेका के निविदा स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से 07 दिवस के अन्दर निगम कार्यालय में ठेका राशि का 50 प्रतिशत निगम कार्यालय में जमा करना होगा शेष राशि 6 माह के अन्दर जमा करना अनिर्वाय होगा । उक्त निर्धारित तिथि के भीतर राशि जमा नहीं करने पर विज्ञापन ठेके

निरस्त कर पुनः निविदा किया जावेगा। एवं अमानत राशि जप्त की जावेगी। इसके लिए ठेकेदार का किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

10. निविदा प्रपत्र स्वच्छता से भरा जावें । कांट छांट होने पर निविदा अस्वीकार की जावेगी ।
11. निविदा शील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करना होगा । कोरियर से निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित साईज के होर्डिग्स हेतु निविदा दी जा सकेगी यह विज्ञापन एंजेंसी इससे बड़ा होर्डिग्स लगाना चाहेगें तो इसकी अनुमति आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर की स्वीकृति के पश्चात ही दी जा सकेगी।
13. होर्डिग्स का निचला हिस्ता संड़क से न्यूनतम 8 फिट ऊपर रखना होगा।
14. होर्डिग्स का ऊपरी हिस्सा अधिकतम 18 फीट ऊचां जा सकेगा।
15. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त सभी शर्तो को अथवा कोई भी शर्तो को शिथिल कर सकेगें।
16. विज्ञापन बोर्ड की ठेका (दर) एक वर्ष के लिये देना होगा। तथा 10–10 प्रतिशत वृद्धि कर दो बार नवीनीकरण किया जावेगा। इस प्रकार विज्ञापन बोर्ड लगाने की अवधि तीन वर्ष की होगी। तथा नवीनीकरण की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तथा 50 प्रतिशत राशि 06 माह के अन्दर जमा करना होगा एवं जमा अमानत राशि तृतीय वर्ष के अन्तिम किस्त में समायोजित किया जावेगा।
17. निविदाएं स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर को होगा।
18. शासन द्वारा या नगर पालिक निगम, जगदलपुर द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टि से अश्लील एवं आपत्तिजनक लेख से संबंधित विज्ञापन होर्डिग्स पर प्रदर्शित नही किये जा सकेगें।
19. होर्डिग्स लगाते समय चयनित स्थल का अवलोकन प्रभारी अधिकारी को कराना होगा तथा प्रभारी अधिकारी के स्वीकृति के पश्चात ही होर्डिग्स लगाया जावेगा।
20. प्रदर्शित विज्ञापन एवं होर्डिग्स निगम हित में अथवा जनहित में बिना कोई कारण बताये न्यूतम 48 घण्डे की सूचना देकर हटवा दिया जावेगा।
21. होर्डिग्स के लिये बनाये गये स्ट्रक्चर मजबूत होने चाहिए, होर्डिग्स लगाने के एक सप्ताह के भीतर एजेंसी को लाइसेंसी इंजीनियर से STRUCTURE STABILITY CERTIFCATE प्रस्ततु करना होगा अन्यथा निगम द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए बगैर सूचना दिये ऐसे होर्डिग्स को हटवा दिया जावेगा। ऐसे सार्टिफिकेट प्रति एक वर्ष बाद प्रस्तुत करना होगा ।
22. ऐजेसियों द्वारा लगाये गये होर्डिग्स से यदि कोई प्राकृतिक आकस्मिक दुर्घटना एवं जन धन की हानि होती है तो उनकी समस्त जिम्मेदारी एंजेसी की होगी ।
23. यह कि निविदाकार्ता को शासन/नगरपालिक निगम जगदलपुर की विधि उपविधियां और निर्णय तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होग ।
24. यह कि निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लगाये विज्ञापन होर्डिग्स को हटाना होग । निविदाकर्ता के द्वारा विज्ञापन होर्डिग्स नहीं हटाये जाने पर हर्जाना या मुआवजा का हकदार नहीं होगा । नगर पालिक निगम जगदलपुर को अधिकार होगा कि विज्ञापन होर्डिग्स को हटाकर जप्त कर सकेगा।
25. विज्ञापन एजेसियों के बनाये गये समूह के अन्तर्गत निर्धारित होर्डिग्स संख्या के अनुरूप किराया शुल्क देना ही होगा । चाहे एजेंसी के द्वारा लगाये होर्डिग्स की संख्या निर्धारित से ही कम क्यों न हो ।
26. होर्डिग्स ऐजेन्सियों/ठेकेदार को शहर के समस्त ट्राफिक सिंगनलों के खम्बों में विज्ञापन बोर्ड लगाने का अधिकार नही होगा ।
27. होर्डिग्स ठेकेदार द्वारा शह्हर के समस्त डिवाईडरों में फ्लेक्स, पोस्टर तथा कलेन्डर आदि नही लगा सकेगा ।
28. विज्ञापन एजेसियों के द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये होर्डिग्स की संख्या से अधिक (अधिकतर संख्या के अंतर्गत) लगाये जाने की दशा में निविदा स्वीकृति तीन माह के भीतर ही सूचना देना आवश्यक होगा ।
29. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी निगम आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी । निगम आयुक्त का निर्णय सर्वमान्य होग । इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती ।

30. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसुली योग्य राशि पहले संबंधित एंजेसी को जमा करना होगा तत्पश्चात ही उनकी अपील पर विचार होगा ।
31. निविदा खोले जाने के समय निविदाकर्ता स्वंय अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगें ।
32. ऐसी एजेंसी जिन पर निगम की कोई राशि बकाया हो उनकी निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
33. **निविदाकर्ताओं को वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–**
विज्ञापन अधिकार हेतु प्रत्येक निविदाकर्ता को संलग्न प्ररिशिष्ट – अ (संलग्न) में दिये गए प्रपत्र में जो इन उप विधियों का भाग है, में विधि अनुसार रू0 100/– मूल्य कें गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचन बद्ध निष्पादित कर प्रस्तुत करना होगा ।
34. छात्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 212/रायपुर,मंगलवार,दिनांक 07 अगस्त 2012 शर्तें चाही गई उप विधि तथा निगम द्वारा जारी विविध आमन्त्रण सूचना शर्तें का भाग होगा जिसे पालन करना अधिवार्य होगा ।
35. निगम द्वारा निर्धारित जोन में उल्लेखित स्थलों में ही निर्धारित साईज का विज्ञापन होर्डिंग्स लगाना होगा इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों एवं साईजों का अधिक होर्डिंग्स लगाये जाने पर अवैध मानते हुए निविदा निरस्त कर जमा घरोहर राशि राजसात किया जावेगा ।
36. स्थायी होर्डिंग्स यदि किसी प्रकार के प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना से क्षति होने पर निविदा दाता स्वंय जिम्मेदार होगें । तथा इस घटना से शासकीय/निजी जन–धन की हानि/क्षति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
37. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र के साथ निगम में कर बकाया नहीं है संबंधित प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का आयकर/वा.कर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
38. दरदाता को ठेका की निविदा निगम द्वारा निर्धारित न्युनतम राशि से अधिक दर पर ही निविदा भरना होगा , किसी भी निविदा में निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम राशि प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
39. निगम द्वारा अथवा निगम के माध्यम से अन्य शासकीय विभागों के द्वारा शासकीय कार्य हेतु विज्ञापन बोर्ड लगाया जावेगा जो निःशुल्क होगा।
40. जोन में विज्ञापन होर्डिंग्स स्थानों पर आवश्यकतानुसार निगम द्वारा स्थान पर समय – समय में परिवर्तन किया जा सकता है ।
41. विज्ञापन बोर्ड, लगाने हेतु निविदा की नियम व शर्तो के अनुसार निगम द्वारा चयनित स्थान में ही होर्डिंग्स लगाना होंगा । विज्ञापन होर्डिंग्स के अलावा और किसी प्रकार का विज्ञापन नही होगा।
42. विज्ञापन बोर्ड, लगाने हेतु ऐजेन्सी/ठेकेदार को स्वयं के व्यय से ही बोर्ड हेतु स्ट्रेक्चर खड़ा करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात् स्वयं ही स्ट्रेक्टर निकालना अनिवार्य होगा ।
43. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय पर जारी आदर्श आचार संहितान्तर्गत फ्लैक्स लगाने एवं अवैध रूप से लगे फ्लैक्स को हटाना व आचार संहित का पालन अनिर्वाय होगा ।
44. ठेके से संबंध में समय– समय पर राज्य शासन/नगरीय प्रशासन/जिला प्रशासन एवं नगर निगम, द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं आदेश का पालन करना निविदादाता को अनिर्वाय होगा।
45. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लधन पाये जाने पर ठेका निरस्त करते हुए जमा राशि राजसात कर पुनः निविदा की कार्यवाही की जावेगी।
46. मै श्री/श्रीमती .... आत्मज ....निवासी .... जगदलपुर द्वारा ठेके की शर्तो को पूर्ण होसोहवाश के साथ पढ़ लिया है। उपरोक्त शर्तो मुझे मान्य है । शर्तो के पालन करने हेतु मै पूर्णतः बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

राजस्व अधिकारी
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

आयुक्त
नगरपालिक निगम, जगदलपुर